

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :-उमर दीन खान,
आई.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :-00019/2020

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू।

-बनाम-

गणेश सिंह पुत्र बजरंग सिंह, जाति राजपूत, निवासी खुडानिया, पुलिस थाना मण्डेला, जिला झुंझुनू।

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 खण्ड (ख)(5) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

1. सरकार की ओर से :-श्री सहायक लोक अभियोजक (प्रथम) उपस्थित।
2. गैरसायल की ओर से :- श्री कमेर सिंह, अनुपस्थित

-निर्णय-

दिनांक 11.10.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू ने दिनांक 23.12.2020 को गैरसायल गणेश सिंह पुत्र बजरंग सिंह, जाति राजपूत, निवासी खुडानिया, पुलिस थाना मण्डेला, जिला झुंझुनू के खिलाफ इस्तगासा पेश किया कि गणेश सिंह पुत्र बजरंग सिंह, जाति राजपूत, निवासी खुडानिया, पुलिस थाना मण्डेला, जिला झुंझुनू एक आपराधिक मनोवृत्ति का बदमाश व्यक्ति है जो ग्राम खुडानिया में अवैध देशी मदिरा सादा हथकड़ शराब का व्यापार करता है। जिसके विरुद्ध कोई भी खुडानिया के ग्रामवासी शिकायत करने की हिम्मत नहीं रखते हैं ना ही कोई व्यक्ति इसके खिलाफ गवाही देने को लिए तैयार है। उक्त शख्स द्वारा किये गये अपराधों का विवरण निम्न प्रकार है:-

1. अभियोग संख्या 37/2017 दिनांक 19.04.2017 धारा 16/54 राज0 आबकारी अधिनियम थाना मण्डेला में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 28/17 दिनांक 28.04.2017 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17.05.2017 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 300 रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
2. अभियोग संख्या 107/2017 दिनांक 07.11.2017 धारा 16/54 राज0 आबकारी अधिनियम थाना मण्डेला में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 75/17 दिनांक 14.11.2017 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30.11.2017 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 200 रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
3. अभियोग संख्या 23/2019 दिनांक 05.03.2019 धारा 16/54 राज0 आबकारी अधिनियम थाना मण्डेला में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 16/19 दिनांक 09.03.2019 को न्यायालय में पेश किया गया जो एमजेएम न्यायालय पिलानी में विचाराधीन है।

इस प्रकार उक्त गणेश सिंह पुत्र बजरंग सिंह, जाति राजपूत, निवासी खुडानिया, पुलिस थाना मण्डेला, जिला झुंझुनू का यह कृत्य राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3/2 के खण्ड (ख) उपखण्ड (5) की परिभाषा में पूर्ण रूप से आता है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे।

इस्तगासा पेश होने पर गैर सायल को उसके खिलाफ लगाये आरोपों की सूचना को नोटिस देकर तलब किया गया तथा गैरसायल को अपना पक्ष मय सबूतों के रखने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया। गैरसायल ने बावजूद इसके अपने बचाव में न तो कोई जबाब पेश किया और न ही कोई साक्ष्य सबूत पेश किया। गैरसायल के विरुद्ध जबाब बन्द कर एकपक्षीय सुनवाई की गई।

बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान एपीपी-1 ने बताया कि गैर सायल के खिलाफ पुलिस थाना सदर झुंझुनू जिला झुंझुनू में निम्न अभियोग दर्ज होकर न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं-

1. अभियोग संख्या 37/2017 दिनांक 19.04.2017 धारा 16/54 राज0 आबकारी अधिनियम थाना मण्डेला में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 28/17 दिनांक 28.04.2017 को न्यायालय में पेश किया

- गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17.05.2017 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 300 रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
2. अभियोग संख्या 107/2017 दिनांक 07.11.2017 धारा 16/54 राज0 आबकारी अधिनियम थाना मण्डेला में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 75/17 दिनांक 14.11.2017 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30.11.2017 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 200 रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
 3. अभियोग संख्या 23/2019 दिनांक 05.03.2019 धारा 16/54 राज0 आबकारी अधिनियम थाना मण्डेला में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 16/19 दिनांक 09.03.2019 को न्यायालय में पेश किया गया जो एमजेएम न्यायालय पिलानी में विचाराधीन है।

इस प्रकार गैर सायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधि0 1975 की धारा 2 खण्ड (ख) के उपखण्ड (5) में अंकित धारा के अधीन 2 बार दोषसिद्ध होने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसे झुंझुनू जिले से निष्कासित किया जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस विद्वान एपीपी-1 पर ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/साक्ष्य के मुताबिक गैरसायल के खिलाफ पुलिस थाना मण्डेला, जिला झुंझुनू में अभियोग संख्या 37/2017 दिनांक 19.04.2017 धारा 19/54 राज0 आबकारी अधिनियम, अभियोग संख्या 107/2017 दिनांक 07.11.2017 धारा 19/54 राज0 आबकारी अधिनियम एवं अभियोग संख्या 23/2019 दिनांक 05.03.2019 धारा 19/54 राज0 आबकारी अधिनियम थाना मण्डेला में दर्ज हुई थी, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत हुई है। इसकी चार्जशीट न्यायालय में पेश हुई थी। जिनमें माननीय न्यायालय द्वारा गैरसायल गणेश सिंह को दोषी मानकर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 के तहत क्रमशः 300 रुपये, 200 रुपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया गया है एवं 1 प्रकरण एमजेएम न्यायालय पिलानी में विचाराधीन है। गैर सायल गणेश सिंह राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 के अन्तर्गत 3 बार अपराध करने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। गैरसायल को अपना पक्ष मय सबूतों के रखने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया। गैरसायल ने बावजूद इसके अपने बचाव में न तो कोई जबाब पेश किया और न ही कोई साक्ष्य सबूत पेश किया। गैरसायल के विरुद्ध जबाब बन्द कर एकपक्षीय सुनवाई की गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि गैरसायल यदि इस जिले में बना रहता है तो वह ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति में पुनः लगकर युवा पीढ़ी को ऐसी सामाजिक बुराई के अपराध में संलिप्त कर उन्हें दिशा भ्रमित कर सामाजिक व्यवस्था को भंग कर सकता है तथा आम जन की जान माल को नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 (ख) (11) में अंकित विश्वास के कारणों के कारण गैरसायल को इस जिले से निष्कासित करना न्यायोचित व आवश्यक समझता हूँ।

अतः गणेश सिंह पुत्र बजरंग सिंह, जाति राजपूत, निवासी खुडानिया, पुलिस थाना मण्डेला, जिला झुंझुनू को राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(ख) (11) के तहत 15 दिन की अवधि के लिए झुंझुनू जिले की सम्पूर्ण सीमा से निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त 15 दिन की अवधि में गैर सायल कोतवाली सीकर क्षेत्र में रहेगा तथा वह प्रतिदिन कोतवाली में उपस्थिति दर्ज करवायेगा तथा थाना कोतवाली सीकर इसकी लगातार सूचना पुलिस थाना मण्डेला, जिला झुंझुनू को देंगे तथा थानाधिकारी थाना मण्डेला, जिला झुंझुनू गैर सायल की गतिविधियों बाबत पाक्षिक सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। इस दौरान गैर सायल ऐसे अपराध एवं अन्य असमाजिक गतिविधियों में शामिल नहीं रहेगा। यह निर्णय दिनांक 11.10.2021 के पश्चात 07 दिवस के बाद से प्रभावी होगा। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक झुंझुनू को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उमर दीन खान)
जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनू
झुंझुनू